न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– (289 / 2006) 32 / 2015
दर्ज दिनांकः– 09 / 09. / 2015
निर्णय दिनांकः– 27 / 01 / 2022

उनवान

1. शिवनारायण पिता मिठूलाल महाजन निवासी बबराना, तहसील–भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ
2. रामसहाय पिता मिठूलाल महाजन निवासी बबराना, तहसील–भूपालसागर
3. गोविन्द पिता मिठूलाल महाजन निवासी बबराना, तहसील–भूपालसागर
4. श्रीमती गीता पिता मिठूलाल महाजन निवासी बबराना, तहसील–भूपालसागर
5. श्रीमती कंचन पिता मिठूलाल महाजन निवासी बबराना, तहसील–भूपालसागर
6. श्रीमती मूली बेवा मिठूलाल महाजन निवासी बबराना, तहसील–भूपालसागर

वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जरिये जिला कलक्टर, चित्तौडगढ
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89 एवं 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं प्रार्थना पत्र धारा 136 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

स्थिति : 1. श्री राजकुमार लढ्ढा, वकील वादी
2. तहसीलदार, भूपालसागर, प्रतिवादी पैरोकार सरकार

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बबराणा की बिलानाम साबिक आराजी संख्या 1324 मीन रकबा 41 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा भूमि हम वादीगण / प्रार्थीगण के पिता श्री मिठुलाल पिता मोतीलाल महाजन को आवंटित हुई। जो कि नामान्तरण संख्या 160 दिनांक 16.05.1971 से गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई तथा उक्त भूमि के नये नंबर 1324 / 7 रकबा 10 बीघा बने एवं जरिये नामान्तरण संख्या 544 दिनांक 28.02.1980 से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। वक्त आवंटन से आवंटनशुदा भूमि पर हम वादीगण / प्रार्थीगण के पिता (आवंटी) तथा बाद में हमारा कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। वक्त सेटलमेंट उक्त साबिक आराजी 1324 / 7 के नये खसरा नंबर 1822 रकबा 0.18 है., खसरा सं. 1823 रकबा 0.08 है., खसरा सं. 1824 रकबा 1.40 है., खसरा सं. 1819 रकबा 0.21 है., खसरा सं. 2077 / 1824 रकबा 0.65 है. एवं खसरा सं. 2078 / 1824 रकबा 0.46 है. [illegible] है परन्तु वक्त [illegible]ट सहवन से उक्त नवीन आराजियात मे से आराजी संख्या 1822 रकबा 0.18 है[illegible] तथा [illegible]राजी संख्या 1823 रकबा 0.08 हैक्टर किता 2 रकबा 0.26 हैक्टर हमारे नाम पर [illegible] शेष आराजी बिलानाम दर्ज कर दी गई जो कि हाल आ.सं. 1824 रकबा [illegible], आ.सं. 1819 रकबा 0.21 है., आ.सं. 2077 / 1824 रकबा 0.65 है. में से 0.15 है. तथा [illegible]सं. 2078 / 1824 रकबा 0.46 है. में से 0.14 है. कुल किता 4 रकबा 1.90 है. बिलानाम दर्ज कर दी जबकि ये चारों आराजियात रकबा 1.90 हैक्टेयर हमारे नाम दर्ज की जानी चाहिये थी। अतः वाद बादी / प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणात्मक अधिकार सहित स्वीकार फरमाया जाकर उक्त चारों आ.सं. 1824 रकबा 1.40 है., आ.सं. 1819 रकबा 0.21 है., आ.सं. 2077 / 1824 रकबा 0.65 है. में से 0.15 है. तथा आ.सं. 2078 / 1824 रकबा 0.46 है. में से 0.14 है. कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.01.28 12:38:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

किता 4 रकबा 1.90 है. भूमियां वादी/प्रार्थीगण के पक्ष में इन्द्राज दुरूस्ती सहित घोषणात्मक डिक्री जारी की जावें।

साथ ही प्रश्नगत विवादित भूमियों के संबंध में वादी/प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र [illegible]र्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया गया था जो [illegible]ये प्रकरण संख्या 39/2021 दर्ज रिकार्ड होकर अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जाकर अप्रार्थी/प्रतिवादी गण को सूचना पत्र जारी कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी तहसीलदार, भूपालसागर (पैरोकार सरकार) द्वारा मूल वाद 32/2015 में प्रस्तुत अपने जवाब दिनांक 03.04.2007 में बताया कि ग्राम बबराना की आ.सं. 1324/7 रकबा 10 बीघा भूमि श्री मीठूलाल पिता मोतीलाल के दर्ज की वादीगण स्वयं सिद्ध करे। आ.सं. 1822 व 1823 साबिक आ.सं. 1324/7 से बनने सिद्ध होते हैं परन्तु हा.आ.सं. 1824 की कमिश्नर रिपोर्ट में नये–पुराने के नक्शे से मिलान किये बिना साबित नहीं होता है। अतः आ.सं. 1824 पर खातेदारी चाहने हेतु स्वयं साबित करें। वादीगण द्वारा नक्शा व कब्जा संबंधी सबूत पेश नहीं किया है। वादी द्वारा पूर्व में धारित भूमि का नक्शा एवं कब्जा संबंधी सबूत पेश नहीं किया है, अतः वाद स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अपने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2021 में बताया कि ग्राम बबराना की साबिक आ.सं. 1324 रकबा 41 बीघा 3 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि आवंटि श्री मीठूलाल पिता मोतीलाल महाजन को नामान्तरण संख्या 160 दिनांक 16.05.1971 से आवंटन हुई तथा नामान्तरण संख्या 544 दिनांक 28.02.1980 में खातेदारी अधिकार दिया जाना रिकार्ड अनुसार होने से स्वीकार है तथा साबिक आ.सं. 1324 जिसके हाल आराजी नंबर 1822, 1823, 1824, 1819, 2077/1824, 2078/1824 बनना मिलान क्षेत्रफल से सिद्ध है। 10 बीघा जिसके मैट्रिक प्रणाली में 2.16 हैक्टर बनते हैं, के मुकाबले प्रार्थीगण के नाम आ.सं. 1822, 1823 किता 2 रकबा 0.26 हैक्टर नाम पर दर्ज होना सिद्ध होता है तथा कुल रकबा 2.16 हैक्टर के मुकाबले रकबा 1.90 हैक्टर रकबा कम दर्ज हुआ है, जिसे शुद्ध किया जाना उचित है।

इस प्रकार वाद पत्र एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार निम्न प्रकार तनकियात कायम की गई :

1. आया वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित साबिक आराजी नं. 1324/7 रकबा 10 बीघा वादीगण के पिता मिठूलाल के खातेदारी की थी।

जिम्मेवादी

2. आया सेटलमेंट के दौरान साबिक आराजी के हाल नंबर 1822, 1823, 1824 बने, जिसमें से आराजी नंबर 1822, 1823 वादीगण के खाते दर्ज कर दी तथा आ.सं. 1824 बिलानाम दर्ज कर दी, जो गलत इन्द्राज होकर वादीगण खातेदारी से दर्ज कराने का अधिकारी है।

जिम्मेवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.01.28 12:38:39 IST
Reason: SelfAttested

3. दादरसी

शहादत वादी में गवाहवादी श्री शिवनारा[illegible] का शपथ पत्र जो कि P.W.1, श्री शम्भूनाथ पिता केशुनाथ यो[illegible] प्रस्तुत कर बयान दर्ज करवाऐ, जो शामिल पत्रावली है। गवाह ने अपने बयान/शपथ पत्र में बताया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बबराना में स्थित है, जिस पर वादीगण का [illegible]के बाप–दादाओं के समय से कब्जा है तथा उक्त भूमि पर एक फसल होती है, वर्तमान में भी कब्जा वादीगण का है तथा हम उक्त भूमि के पडौसी हैं।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में तहसीलदार, भूपालसागर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्रश्नगत आराजियात की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./2022/05 दिनांक 04.01.2022 से प्रस्तुत तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट में अवगत कराया कि :

1. यह कि ग्राम बबराना हाल आराजी नं. 1819, 1822, 1823, 1824, 2077/1824, 2078/1824 मिलान क्षेत्रफल से मिलान करने पर साबिक आराजी नं. 1324 मीन से ही बने हैं।

2. यह कि हाल आराजी नं. 1822, 1823 श्री कंचन, गीता, गोविन्द, रामसहाय, शिवनारायण पिता मिठूलाल, मूली पत्नी मिठूलाल महाजन साकिन देह के नाम दर्ज है तथा आ.नं. 1819, 1824, 2077/1824, 2078/1824 बिलानाम सरकार के रूप में दर्ज है।

3. यह कि हाल आराजी नं. 1822, 1823 खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थीगण के कब्जे में है तथा आ.नं. 1819, 1824 सम्पूर्ण एवं आ.सं. 2077/1824 में से 0.15 है., आ.नं. 2078/1824 में से 0.14 है. भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है। इस प्रकार कुलिया 2.16 हैक्टेर भूमि प्रार्थीगण के कब्जे होकर साफ–सफाई कर रखी है। आने–जाने का रास्ता मौजूद है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। प्रश्नगत वाद/प्रार्थनापत्र के अन्तर्गत वर्णित भूमियों पूर्व से वर्तमान तक के राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है किन्तु उक्त भूमियों के संबंध में खान विभाग द्वारा प्रश्नगत भूमियों को बिलानाम सरकार मानते हुऐ खनन नियमों के तहत खनन स्वीकृति जारी की गई जिसका आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड में अंकन होना राजस्व दस्तावेजों अनुसार दर्शित नहीं पाया गया। चूंकि प्रकरण में विवादित भूमियां आवंटन आदेश से वर्तमान तक वादी/प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है तो ऐसी स्थिति में बिना किसी सक्षम कार्यवाही के खान विभाग द्वारा माईनिंग के लिये दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि भूप्रबंध विभाग की त्रुटिवश प्रश्नगत भूमियां बिलानाम सरकार दर्ज हुई तथा इन भूमियों के साबिक रिकार्ड जानकारी खान विभाग को नहीं होने से खान विभाग के द्वारा भूमियों को बिलानाम मानकर लीज स्वीकृत की गई। इस प्रकार भूप्रबंध विभाग की त्रुटिपूर्ण कार्यवाही तथा खान विभाग द्वारा माईनिंग लीज स्वीकृत की जाने से प्रार्थी/वादी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, जो कि न्यायसंगत नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 अप्रार्थी संख्या 1 खनिज विभाग के विरूद्ध स्वीकारोक्त होने से स्वीकार किया जता है एवं प्रार्थना पत्र इस आधार पर मूल वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रकरण संख्या 32/2015 के साथ संलग्न किया जाता है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वादी/प्रार्थी ने अपने वादपत्र, प्रार्थना पत्रों एवं पुष्टि में मिलान खसरा, गत जमाबंदी, नामान्तरण, नक्शा अनुसार प्रस्तुत कर दाद प्रदान की जाने का तथा पैरोकार सरकार द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जवाब एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार ही निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.01.28 12:38:39 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया [illegible] साथ साथ पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड दस्तावेज तथा साक्ष्य, बयान [illegible] कमिश्नर मौका रिपोर्ट एवं जिरह वादी प्रतिवादी के समुचित रिकार्ड दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल शीट भू प्रबंध, साबिक रिकार्ड जमाबंदी संवत 2036–39 एवं नामान्तरकरण संख्या 160 [illegible]ांक 16.05.1971 एवं 544 दिनांक 28.02.1980 तथा अन्य साबिक एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड तथा राजस्व नक्शों का महनता पूर्वक अवलोकन अध्ययन किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम बबराणा की साबिक आराजी संख्या 1324 मीन रकबा 49 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से वादी/प्रार्थीगण के पिता (दिगर आवंटी/खातेदार) श्री मीठुलाल महाजन को

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

जरिये आवंटन आदेश मि.नं. 64 दिनांक 15.05.1971 से 10 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था। जो रिकार्ड पत्रावली पर संलग्न है। रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नकल नामान्तरकरण संख्या 160 दिनांक 16.05.1971 एवं 544 दिनांक 28.02.1980 से भी स्पष्ट होता है कि उक्त आवंटित भूमि जरिये साबिक आराजी संख्या 1324/7 रकबा 10 बीघा भूमि आवंटी वादी/प्रार्थीगण के नाम साबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। प्रकरण में प्रस्तुत समस्त रिकार्ड एवं जवाब एवं रिपोर्ट भूमिधारी तहसीलदार भूपालसागर तथा पटवार हल्का बबराणा के अनुसार भी उक्त समस्त भूमियां एक चक मौके पर मौजूद होना तथा उक्त भूमियों पर वादी/प्रार्थीगण का पर्याप्त कब्जा होना स्वीकार किया जाना वाद वादी की स्वीकारोक्ती को बल प्रदान करता है। अतः तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है :

1. इस तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर होकर वादी को साबित कराई जानी है। वादीगण की ओर से प्रश्नगत भूमि के आवंटन आदेश मि.नं. 64 दिनांक 15.05.1971, नामान्तरण संख्या 160 दिनांक 16.05.1971, ना.सं. 544 दिनांक 28.02.1980 एवं साबिक नकल जमाबंदी सम्वत् 2036–39 खाता संख्या 383 प्रस्तुत किया। इन दस्तावेजों अनुसार वादी 10 बीघा भूमि का आवंटी एवं खातेदार होना सिद्ध पाया जाने से तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. इस तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर होकर वादी को साबित कराई जानी है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल, साबिक–हाल जमाबंदी एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार ग्राम बबराना हाल आराजी नं. 1819, 1822, 1823, 1824, 2077/1824, 2078/1824 मिलान क्षेत्रफल से मिलान करने पर साबिक आराजी नं. 1324 मीन से ही बने हैं। हाल आराजी नं. 1822, 1823 श्री कंचन, गीता, गोविन्द, रामसहाय, शिवनारायण पिता मिठूलाल, मूली पत्नी मिठूलाल महाजन साकिन देह के नाम दर्ज है तथा आ.नं. 1819, 1824, 2077/1824, 2078/1824 बिलानाम सरकार के रूप में दर्ज है। हाल आराजी नं. 1822, 1823 खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थीगण के कब्जे में है तथा आ.नं. 1819, 1824 सम्पूर्ण एवं आ.सं. 2077/1824 में से 0.15 है., आ.नं. 2078/1824 में से 0.14 है. भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है। इस प्रकार कुलिया 2.16 हैक्टेर भूमि प्रार्थीगण के कब्जे होना प्रमाणित होने से तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. उक्तानुसार तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में राजस्व रिकार्ड अनुसार निर्णित की जाने से वाद स्वीकार योग्य है।

इस प्रकार न्यायालय हाजा में वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88–89 प्रकरण संख्या 32/2015, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 प्रकरण संख्या 39/2015 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू रास्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 प्रकरण संख्या 20/2021 में वर्णित आराजियात से संबंधित चाही गई दाद तथा वाद एवं प्रार्थना पत्रों की विषयवस्तु समान प्रकृति की होने से वाद/प्रार्थना पत्रों को संलग्न किये जाते हैं।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2036–39 के अवलो[illegible]हिर है कि विवादित साबिक आराजी खसरा संख्या 1324 मीन में से रकबा [illegible] बीघा [illegible] खसरा सेटलमेंट से पूर्व श्री मिठूलाल पिता मोतीलाल महाज[illegible] दर्ज थी। सेटलमेंट उपरांत भूमि साबिक खसरा संख्या 1324 मीन के नवीन खसरा नंबर 1822, 1823, 1824, 1819, 2077/1824, 2078/1824 बनाये गये। सेटलमेंट [illegible] खसरा संख्या 1822 व 1823 पूर्व खातेदार के खातेदारी में दर्ज कर दिये लेकिन खसरा संख्या 1824, 1819, 2077/1824, 2078/1824 रकबा 2.72 को बिलानाम दर्ज किया गया। जबकि उक्त विवादित आराजी में से 1.90 हैक्टर भूमि वादीगण को आवंटन से प्राप्त हुई थी तथा आवंटित भूमि पर उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। इस प्रकार सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.01.28 12:38:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

खातेदारों का शेष रकबा बिलानाम दर्ज किया गया वह पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण था तथा उनके क्षेत्राधिकार से परे था। सेटलमेंट अधिकारियों को चाहिये था कि जो भूमि उनके द्वारा सेटलमेंट से पूर्व सेटलमेंट हेतु ली गई थी वह वाद सेटलमेंट उन्हें वापस लौटाते। प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड यथा नकल जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल इत्यादि से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में जो परिवर्तन हुआ है वह सेटलमेंट के उपरान्त हुआ है जो पूर्णतः त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। जिससे वादीगण के हितों पर प्रभाव पड़ा है। अतः वाद/प्रार्थनापत्र वादी/प्रार्थीगण स्वीकार किये जाते हैं तथा सेटलमेंट द्वारा दर्ज त्रुटिवश इन्द्राज को निरस्त कर भूमि आराजी संख्या 1824 रकबा 1.40 हैक्टर आराजी संख्या 1819 रकबा 0.21 हैक्टर एवं आराजी संख्या 2077/1824 रकबा 0.65 है. में से 0.15 हैक्टर एवं 2078/1824 रकबा 0.46 है. में से 0.14 हैक्टर कुल किता 4 रकबा 1.90 हैक्टर वाके ग्राम बबराना की बिलानाम आराजी पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तद्नुसार वादीगण/प्रार्थीगण का वाद/प्रार्थनापत्र डिक्री किया जाकर तहसीलदार, भूपालसागर को आदेश दिया जाता है कि वह ग्राम बबराना की खसरा संख्या आराजी संख्या 1824 रकबा 1.40 हैक्टर आराजी संख्या 1819 रकबा 0.21 हैक्टर एवं आराजी संख्या 2077/1824 रकबा 0.65 है. में से 0.15 हैक्टर एवं 2078/1824 रकबा 0.46 है. में से 0.14 हैक्टर कुल किता 4 रकबा 1.90 हैक्टर को पुनः वादीगण/प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज करे तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की एक–एक प्रति प्रार्थना पत्र संख्या 20/2021 एवं 39/2021 के साथ संलग्न की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति निर्णय दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.01.28 12:38:39 IST
Reason: SelfAttested